

कार्यकारी सार

हमने निर्माण कार्य अनुबंध सेवाओं को प्रदान कर रहे निर्धारितियों पर यह सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की कि अप्रत्यक्ष कर प्रशासन राजस्व के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त रूप से गठित किया गया है। हमने जांच की कि उपयुक्त निर्धारण और राजस्वों के संग्रहण, चूककर्त्ताओं की पहचान, छूट की निगरानी आदि को सुनिश्चित करने के लिए नियमावली और तत्कालीन निर्देश पर्याप्त थे, और विभाग द्वारा उनका अनुपालन किया गया। 237 निर्धारितियों से संबंधित रिकॉर्डों की जांच सहित 33 चयनित आयुक्तालयों में निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा से निर्माण कार्य अनुबंध सेवा से कर के निर्धारण और संग्रहण से संबंधित प्रणाली और अनुपालन मुद्दों दोनों के तत्कालीन प्रावधानों में विशेष कमी उजागर की।

क. विभिन्न स्रोतों से इकट्ठे किये गये निर्माण कार्य ठेकेदारों से संबंधित डाटा/डम्प-डाटा के रिकॉर्ड की जांच पर हमने 425 निर्माण कार्य ठेकेदारों की पहचान की जिन्होंने निर्माण कार्य अनुबंधों का कार्य किया था, वे न तो विभाग से पंजीकृत थे न ही ₹ 447.76 करोड़ का सेवा कर अदा किया था।

(पैराग्राफ 2.2.1)

ख. सत्रह आयुक्तालयों के अंतर्गत 1857 मामलों में, हमने ₹ 1.70 करोड़ की विलम्ब फीस सहित 49 महीनों की रेंज तक रिटर्नों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब का अवलोकन किया।

(पैराग्राफ 2.5.1)

ग. हमने ₹ 44.74 करोड़ के सेवा कर की गैर-अदायगी/कम अदायगी के 145 मामलों का अवलोकन किया।

(अध्याय 3)

घ. हमने ₹ 22.59 करोड़ राशि के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित लाभ/उपयोगिता के 34 मामलों का अवलोकन किया।

(अध्याय 4)

ङ. हमने ₹ 17.81 करोड़ राशि की अनुचित छूट प्राप्ति के 14 मामलों का अवलोकन किया।

(अध्याय 5)

च. हमने ₹ 8.84 करोड़ के सेवा कर की दर का गलत अनुप्रयोग और ब्याज की गैर अदायगी/कम अदायगी के 44 मामलों का अवलोकन किया।

(अध्याय 6)

सिफारिशों का सार

1. अंतर विभागीय सहयोग को क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समिति की बैठकों द्वारा विशेषतः वैट रिकॉर्डों के संबंध में अपंजीकृत सेवा प्रदाता की पहचान और कर आधार को विस्तृत करने के लिए मुख्य वाणिज्यिक कर विभाग के साथ बाध्य कर दिया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का परिणाम मासिक तकनीकी प्रतिवेदनों (एमटीआरज़) के रूप में आवधिक प्रतिवेदन में परिलक्षित होना चाहिए।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने अपने उत्तर(जून 2015) में कहा कि कर 360⁰ कार्यक्रम राजस्व विभाग के अंदर ही आरंभ किया गया जहां डाटा सीबीईसी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), कारपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए-21) और छः वैट विभाग जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, केरल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच साझा किया जाता है। प्रणाली और डाटा प्रबंधन महा निदेशालय सीबीईसी हेतु एक नोडल एजेंसी है जो डाटा को समेकित करती है और संबंधित क्षेत्रीय संगठनों से साझा करती है। इसके अतिरिक्त इसने कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 15ए और धारा 15बी वित्त अधिनियम, 2014 के द्वारा

शामिल की गई थी जिसे वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 द्वारा सेवा कर जैसे मामलों पर लागू किया गया है, यह कुछ विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए विभाग को रिटर्नों की सूचनाओं को प्रस्तुत करना अति बाध्यकर है। इसमें राज्य सरकार, बिजली विभाग आदि के अंतर्गत कोई भी प्राधिकरण शामिल है।

यद्यपि, मंत्रालय द्वारा अंतर-विभागीय सहयोग प्राप्त करने के लिए उठाये गये कदम उचित दिशा में है, मंत्रालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि उक्त के परिणाम एमटीआरज़ में परिलक्षित है।

2. सीबीईसी विपरीत प्रभार तंत्र के अंतर्गत सेवा कर देयता सहित या तो सेवा प्रदाता या सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा फाईल की गई एसटी-3 रिटर्न से जोड़ने के लिए एक यंत्र को डिजाइन करने के लिए विचार कर सकती है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जून 2015) में कहा कि रिटर्नों की विस्तृत संवीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय संगठनों को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जिनमें विपरीत प्रभार के अंतर्गत सेवा प्रदाता और प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा कर की समान अदायगी के पहलू को ध्यान में रखा जाएगा। रिटर्नों का चयन क्षेत्रीय जोखिम कारकों सहित जोखिम मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार, सेवा प्रदाता और प्राप्तकर्ता द्वारा फाईल किये गये एसटी-3 रिटर्नों में, व्यक्तिगत लेन-देनों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इस प्रकार, इस पहलू को भी केवल तब ध्यान में रखा जा सकता है जब रिटर्नों की लेखापरीक्षा प्रति अपवंचन जांच या विस्तृत मैन्यूल संवीक्षा की जानी हो।

डब्ल्यूसीएस पर विपरीत प्रभार को आरंभ करते हुए दिनांक 16 मार्च 2012 के अपने पत्र में सीबीईसी ने कहा कि “यह देखा गया है कि कई पंजीकृत निर्धारिती कर एकत्रित करते हैं परंतु उक्त को विभाग को अदा नहीं करते। यह राजस्व की अहम हानि है, यहां तक कि प्राप्तकर्ता अज्ञाकारी खंड भी लाभप्रद नहीं होता। छोटे व्यवसायों को अयोग्य न बनाते हुए उचित संग्रहण को सुनिश्चित करने की नई योजना का आरंभ करने का प्रस्ताव दिया गया है।” इस लिए विपरीत

प्रभार को आरंभ करने के पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता दोनों द्वारा सरकार का देय सेवा कर अदा किया जाये। यद्यपि एसटी-3 रिटर्न में कोई व्यक्तिगत लेन-देन रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेखापरीक्षा का विचार है कि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में, बोर्ड तंत्र को आरंभ करने पर विचार कर सकता है, ताकि इस मामले को संभाला जा सके।

3. गैर फाइलकर्ता/विलम्ब फाइलकर्ता को देखने के लिए निगरानी तंत्र को स्वयं निर्धारण द्वारा सेवा कर भुगतानों के सुनिश्चित करने के मद्देनजर सुदृढ किया जाना चाहिए।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जून 2015) में कहा कि प्रणाली और डाटा प्रबंधन महा निदेशालय ने स्टॉप फाइलकर्ता/गैर फाइलकर्ता/विलम्ब फाइलकर्ता जिन पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनके स्तर पर आगे की आवश्यक कार्रवाई करने हेतु विचार किया जा सकता है कि पहचान करने के लिए एसीईएस (निर्धारित-वार विस्तृत प्रतिवेदन (एडब्ल्यूडीआर)) में एक उपयोगिता रिपोर्ट तैयार की है।

नमूना जांच के दौरान यह अवलोकन किया गया कि आयुक्तालय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि एसीईएस के स्वचालित वातावरण में, सीबीईसी रिटर्नों की विलम्बित फाइलिंग पर विलम्ब फीस की स्वतः उगाही पर विचार कर सकती है।

4. सीबीईसी रिकॉर्ड के प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता की समीक्षा कर सकता है और सुनिश्चित कर सकता है कि नियम का सख्ती से पालन किया गया है या आवश्यकतानुसार प्रावधान की पुनरीक्षा कर सकता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2015) में अनुपालन हेतु सिफारिश स्वीकार की।